न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही (राज0)
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत-अटल सेवा केन्द्र खाम्बल

नामा.अपील संख्या 1/2017

बनाम

अपीलाण्टगण	रेस्पोडेण्टगण
पोसीदेवी पुत्री रूपाजी मेघवाल पत्नि सेपाराम जी आयु 46 वर्ष जाति मेघवाल पेशा खेती और घरगृहस्थी निवासी खाम्बल तहसील सिरोही जिला सिरोही	1– कान्तिलाल रमेशा पुत्र लकमाराम रमेशा 2– मगन पुत्र जैसाजी 3– लक्ष्मी पुत्री जैसाजी पत्नि चुन्नीलाल जी 4– उनी पुत्री जैसाजी पत्नि सदारामजी 5– गणेश पुत्र जैसाजी 6– सवाराम पुत्र खेताजी 7– समरथाराम पुत्र खेताजी 8– अनाराम पुत्र खेताजी 9– पुनाराम पुत्र खेताजी सभी आयु व्यस्क जाति मेघवाल निवासी खाम्बल निवासी तहसील व जिला सिरोही 10– गंगा पुत्री खेताजी मेघवाल आयु व्यस्क निवासी मेघवालवास सिरोही 11– धनी बेवा खेताजी मेघवाल आयु व्यस्क निवासी खाम्बल तहसील व जि.सिरोही 12– गोपीया पुत्र रूपाजी मेघवाल आयु व्यस्क निवासी खाम्बल तहसील व जि.सिरोही 13– सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल तह.व जिला. सिरोही 14– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार-सिरोही

उपस्थित :–
1– अपीलाण्ट की ओर से वकील श्री ऋषि माथुर
2– रेस्पोडेण्ट संख्या 13 की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत रामपुरा
3– रेस्पोडेण्ट संख्या 14 की ओर से स्टेट तहसीलदार-सिरोही

नामा.अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 तहत बविरूद्व म्युटेशन निरस्त करने म्युटेशन संख्या 242 दिनांक 27–4–1976 रारपंच ग्राम पंचायत खाम्बल तहसील व जिला सिरोही राजस्थान

निर्णय दिनांक 23–6–2018

अपीलाण्ट ने यह नामान्तकरण अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम बविरूद्व नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 27–4–1976 ग्राम पंचायत रामपुरा विरूद्व अप्रार्थी संख्या 1 से 14 तक की इस न्यायालय मे दिनांक 10–3–2017 को पेश की है। अपीलाण्टगण ने उक्त अपील मे निवेदन किया कि संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट पोसीदेवी और रेस्पोडेण्ट संख्या 12 गोपीया के पिता रूपाजी पुत्र प्रेमाजी जाति मेघवाल निवासी खाम्बल तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित है जिसकी विगत निम्न प्रकार से रही है:–

क्र.सं.	पुराना खसरा संख्या	रकबा (बीघा–विस्वा)
1–	206	4.10 बीघा
2–	207	7.09 बीघा
3–	415	3.08 बीघा
4–	416	4.04 बीघा
5–	417	1.08 बीघा
6–	830	2.03 बीघा
7–	920	2.07 बीघा
8–	921	2.08 बीघा

भू-अभिलेख अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue page No2

9— 439 8.11 बीघा
कुल किता 9 कुल रकबा 36 बीघा 08 विस्वा

— उपरोक्त कृषि भूमि के नये खसरा नंबर कम्शः 263,264,529,1308/530,1309/530 531,1049,1391/1111 1392/1111,1393/1112,1394/1112,553 राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे अंकित है जिनके मिलान क्षैत्रफल की नकल अपील के साथ मे संलग्न है। उपरोक्त कृषि भूमि की खातेदारी अपीलाण्ट के पिता रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे कई वर्षो तक बतौर खातेदार दर्ज रही है। अपीलाण्ट के पिता रूपाजी की मृत्यु होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण उनकी पुत्री अपीलेण्ट पोसीदेवी और पुत्र रेस्पोडेण्टान संख्या 12 गोपीयॉ के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज करनी चाहिये थी लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों ने उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण रूपाजी केदोनो वारीसान (पुत्री और पुत्र) के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज नही करके गलती से केवल मात्र पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 12 गोपीयॉ के नाम से दर्ज कर दिया,जबकि उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त और हक अधिकार अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट संख्या 12 का संयुक्त रूप से अपने पिता के जरिये उनके जीवनकाल से लगातार बिना रूकावट और शान्तिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल के ददोनो वारीसान अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट संख्या 12 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज नही करने से और अकेले ही रेस्पोडेण्ट संख्या 12 गोपीया का नाम अंकित कर देने से उक्त गोपीयॉ ने अपीलाण्ट के हक हिस्से की कृषि भूमि को भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 12 हतक को विक्रय कर दिया है जिससे उक्त कृषि भूमि की खातेदारी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 11 के ननाम अंकित हो गई है इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 12 गोपीयॉ द्वारा किया गया विक्रय लेख विधि विरूद्व होने से उक्त विक्रय विलेख शुन्य और अकृत है जिसका विधि मे कोई अस्तित्व नही है। विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल ने नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 27—4—1976 वाके ग्राम खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल को स्वीकृत करने की आज्ञा प्रदान करने मे भारी कानुनी एवंत तथ्यों मे भूल की है। सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल को उत्तराधिकार के मामले मे मृतक रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल के सभी कानुनी वारीसानों के नाम से नामान्तकरण दायर करना चाहिये था लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल ने ऐसा नही कर गंभीर कानुनी त्रुटी की है। विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल ने रूपाजी पुत्र प्रेमाजी के कानुनी उत्तराधिकारियों के समबन्ध मे कोई जांच नही की है जबकि रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल की मृत्यु के पश्चात उनके पिदे निम्न उत्तराधिकारी रहे :—

रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल

T	T
पोसीदेवी (पुत्री)	गोपीया (पुत्र)

उपरोक्त दोनो ही पुत्र —पुत्री रूपाजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है लेकिन अपीलाण्ट पोसीदेवी और पुत्र गोपीयॉ दोनो ही मृतक रूपाजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी पटवारी खाम्बल ने रेस्पोडेण्ट संख्या 12 का नाम लापरवाही पूर्वक तरीके से नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 27—4—1976 दायर कर विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल से स्वीकृत करवा दिया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

अपीलाण्ट ने अपील मे आगे यह निवेदन किया कि पटवारी खाम्बल ने उत्तराधिकार प्रमाण पत्र लिये बिना ही रेस्पोडेण्ट संख्या 12 के नाम से नामान्तकरण दायर किया है जबकि पटवारी को चाहिये था कि रेस्पोडेण्ट संख्या 12 के नाम से नामान्तकरण दायर करने से पूर्व वे अन्य उत्तराधिकारियों की भी जानकारी लेते अथवा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकारीयों लेते अथवा सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करवाते और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर विधि पूर्वक तरीके से नामान्तकरण दायर करते । परन्तु पटवारी खाम्बल ने अपीलाण्ट को नजर अन्दाज करतते हुये लापरवाही पूर्वक तरीके से रेस्पोडेण्ट संख्या 12 के नाम से नामान्तकरण दायर किया जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या 12 ननने इसका फायदा उठाते हुये अपीलाण्ट के हक हिस्से की कृषि भूमि भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 11 को विक्रय कर दी है जिससे उक्त कृषि भूमि की खातेदारी मे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 11 का नाम अंकित हो गया है जो काबिल निरस्त योग्य है। अतः अपीलाण्ट की यह अपील बाद सुनवाई पक्षकारान के स्वीकार फरमाकर सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल द्वारा नामान्तकरण संख्या 242 को अस्वीकृत कर मृतक रूपारामजी के दोनो कानूनी उत्तराधिकारियों के नाम विवादित कृषि भूमि का नामान्तकरण दायर करने के निर्देश तहसीलदार,सिरोही को प्रदान करना फरमावें ।

अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ फार्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न मौजा खाम्बल के विवादित नामान्तकरण संख्या 242 की सत्यापित प्रति,ग्राम खाम्बल मे स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 478,267,73,80,388,393,394 की जमाबंदीयों की सत्यापित

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)

Continue Page No 3

प्रतियॉ तथा मिलान क्षैत्रफल की प्रतियॉ का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो अपील मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 10–3–2017 को दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 तक को जवाब पेश करने हेतु सम्मनस जारी किये गये । जिस पर इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 18–4–2017 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 तक के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये ।दौराने सुनवाई रेस्पोडेण्ट संख्या 12 कीओर से वकील श्री दलपतराज परमार ने वकालतनामा तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 11 की ओर से वकील श्री चन्दनसिंह डाबी ने वकालतनामा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 11 तथा वकील रेस्पोडेण्ट संख्या 12 को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे दिनांक 18–8–2017,23–10–2017,19–12–2017,23–1–2018,26–2–2018,3–4–2018,7–5–2018 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद आज दिन तक सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत 90 दिन की समयावधि मे जवाब पेश नही करने से आगे समय दिया जाना न्यायोचित नही होने से रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 11 तक एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 12 का जवाब बंद किया जाता है।

आज दिनांक 23–6–2018 को विचारण प्रकरण की पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र खाम्बल मे मेरे समक्ष पेश हुई । सुनवाई के दौरान वकील अपीलाण्टा व रेस्पोडेण्टगण संख्या 13 की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल ने हाजिर होकर जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल ने अपने जवाब मे कथन किया कि ग्राम खाम्बल के नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 27–4–1976 को तत्कालीन सरपंच खाम्बल द्वारा स्वीकृत किये जाने की आज्ञा दी गई थी । चूंकि उक्त प्रकरण काफी पुराना होने से इससे संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही है। इस कारण इस प्रकरण मे रेकर्ड के अभाव मे जवाब ननही दिया जाता सकता है। अतः पंचायत खाम्बल का जवाब बंद कराना फरमावें जिस पर ग्राम पंचायत खाम्बल का जवाब बंद किया गया । रेस्पोडेण्ट संख्या 14 स्टेट की ओर से तहसीलदार,सिरोही ने सुनवाई के दौरान हाजिर होकर निवेदन किया कि प्रकरण मे तहसीलदार,सिरोही आवश्यक पक्षकार नही होने व फोरेसल पक्षकार होने तथा राजहित प्रभावित नही होने से रेस्पोडेण्ट संख्या 14 स्टेट का जवाब बंद कराना फरमावें जिस पर तहसीलदार,सिरोही के निवेदन पर रेस्पोडेण्ट संख्या 14 स्टेट का जवाब बंद किया गया ।

हमने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के साथ फार्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न मौजा खाम्बल के विवादित नामान्तकरण संख्या 242 की सत्यापित प्रति,ग्राम खाम्बल मे स्थित कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2070 से 2073 के खाता संख्या 478,267,73,80,388,393,394 की जमाबंदीयों की सत्यापित प्रतियॉ तथा मिलान क्षैत्रफल की प्रतियॉ का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया । वकील अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 13 सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल व रेस्पोडेण्ट संख्या 14 स्टेट तहसीलदार,सिरोही द्वारा विचारण अपील प्रकरण मे अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनकर उस पर भी गंभीरता से मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त निष्पक्षत्यातमक रेकर्ड के आधारित व मौके की तथ्यात्मक स्थिति यह पाई गई कि अपीलाण्ट के पिता रूपाजी की मृत्यु होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण उनकी पुत्री अपीलेण्ट पोसीदेवी और पुत्र रेस्पोडेण्टान संख्या 12 गोपीयॉ के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज करनी चाहिये थी लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों ने उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण रूपाजी केदोनो वारीसान (पुत्री और पुत्र) के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज नही करके गलती से केवल मात्र पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 12 गोपीयॉ के नाम से दर्ज कर दिया,जबकि उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त और हक अधिकार अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट संख्या 12 का संयुक्त रूप से अपने पिता के जरिये उनके जीवनकाल से लगातार बिना रूकावट और शान्तिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल के ददोनो वारीसान अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट संख्या 12 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज नही करने से और अकेले ही रेस्पोडेण्ट संख्या 12 गोपीया का नाम अंकित कर देने से उक्त गोपीयॉ ने अपीलाण्ट के हक हिस्से की कृषि भूमि को भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 12 हतक को विक्रय कर दिया है जिससे उक्त कृषि भूमि की खातेदारी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 11 के नाम अंकित हो गई है इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 12 गोपीयॉ द्वारा किया गया विक्रय लेख विधि विरूद्व होने से उक्त विक्रय विलेख शुन्य और अकृत है जिसका विधि मे कोई अस्तित्व नही है। विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल ने नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 27–4–1976 वाके ग्राम खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल को स्वीकृत करने की आज्ञा प्रदान करने मे भारी कानुनी एवंत तथ्यों मे भूल की है। सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल को उत्तराधिकार के मामले मे मृतक रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल के सभी कानुनी वारीसानों के नाम से नामान्तकरण दायर करना चाहिये था लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल ने ऐसा नही कर गंभीर कानुनी त्रुटी की है। विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल ने रूपाजी पुत्र प्रेमाजी के कानुनी उत्तराधिकारियों के समबन्ध मे कोई

लेण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Continue Page No 4

जांच नही की है जबकि रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल की मृत्यु के पश्चात उनके पिदे निम्न उत्तराधिकारी रहे :–

रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल

T	T
पोसीदेवी (पुत्री)	गोपीया (पुत्र)

उपरोक्त दोनो ही पुत्र –पुत्री रूपाजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है लेकिन अपीलाण्ट पोसीदेवी और पुत्र गोपीयॉ दोनो ही मृतक रूपाजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी पटवारी खाम्बल ने रेस्पोडेण्ट संख्या 12 का नाम लापरवाही पूर्वक तरीके से नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 27–4–1976 दायर कर विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल से स्वीकृत करवा दिया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है।

अपीलाण्ट के पिता रूपाजी की मृत्यु होने पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण उनकी पुत्री अपीलेण्ट पोसीदेवी और पुत्र रेस्पोडेण्टान संख्या 12 गोपीयॉ के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज करनी चाहिये थी लेकिन तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों ने उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण रूपाजी केदोनो वारीसान (पुत्री और पुत्र) के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज नही करके गलती से केवल मात्र पुत्र रेस्पोडेण्ट संख्या 12 गोपीयॉ के नाम से दर्ज कर दिया,जबकि उपरोक्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त और हक अधिकार अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट संख्या 12 का संयुक्त रूप से अपने पिता के जरिये उनके जीवनकाल से लगातार बिना रूकावट और शान्तिपूर्वक तरीके से चला आ रहा है। उपरोक्त कृषि भूमि का नामान्तकरण रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल के ददोनो वारीसान अपीलाण्ट और रेस्पोडेण्ट संख्या 12 के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज नही करने से और अकेले ही रेस्पोडेण्ट संख्या 12 गोपीया का नाम अंकित कर देने से उक्त गोपीयॉ ने अपीलाण्ट के हक हिस्से की कृषि भूमि को भी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 12 हतक को विक्रय कर दिया है जिससे उक्त कृषि भूमि की खातेदारी रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 11 के ननाम अंकित हो गई है इस प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 12 गोपीयॉ द्वारा किया गया विक्रय लेख विधि विरूद्व होने से उक्त विक्रय विलेख शून्य और अकृत है जिसका विधि मे कोई अस्तित्व नही है। विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल ने नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 27–4–1976 वाके ग्राम खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल को स्वीकृत करने की आज्ञा प्रदान करने मे भारी कानुनी एवंत तथ्यों मे भूल की है। सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल को उत्तराधिकार के मामले मे मृतक रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल के सभी कानुनी वारीसानों के नाम से नामान्तकरण दायर करना चाहिये था लेकिन सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल ने ऐसा नही कर गंभीर कानुनी त्रुटी की है। विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल ने रूपाजी पुत्र प्रेमाजी के कानुनी उत्तराधिकारियों के समबन्ध मे कोई जांच नही की है जबकि रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल की मृत्यु के पश्चात उनके पिदे निम्न उत्तराधिकारी रहे :–

रूपाजी पुत्र प्रेमाजी मेघवाल

T	T
पोसीदेवी (पुत्री)	गोपीया (पुत्र)

उपरोक्त दोनो ही पुत्र –पुत्री रूपाजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है लेकिन अपीलाण्ट पोसीदेवी और पुत्र गोपीयॉ दोनो ही मृतक रूपाजी के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी होने के बावजूद भी पटवारी खाम्बल ने रेस्पोडेण्ट संख्या 12 का नाम लापरवाही पूर्वक तरीके से नामान्तकरण संख्या 242 दिनांक 27–4–1976 दायर कर विद्वान सरपंच ग्राम पंचायत खाम्बल से स्वीकृत करवा दिया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अतः उपरोक्त सभी आधार पर अपीलाण्ट की यह अपील अर्न्तगत धारा 75 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 14 तक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। तथा विवेचनाधीन नामान्तरकरण संख्या 242 दिनांक 27–4–1976 ग्राम पंचायत खाम्बल का प्राकृतिक न्याय सिद्वान्त के आधार विधि विरूद्व होने से एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार,सिरोही) को इस दिशा निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण मे उभय पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य सबूत हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का नियमानुसार निर्धारित समयावधि मे निस्तारण कर विधिवत रूप से नया नामान्तकरण दायर करें । निर्णय राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र रामपुरा मे मजमे आम मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

23/6/18
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एल.आर.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 23–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

23/6/18
लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)